

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)**पीठासीन अधिकारी- अनिल कुमार, आर.ए.एस.****केसरदेव****बनाम****लक्ष्मीनारायण आदि****दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा****दावा मुकदमा नं. 67/2016****निर्णय दिनांक- 24.05.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी
रुबरु मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार,
लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा सं. 392 रकबा 4.5100
हैक्टेयर जिसके नया खसरा सं. 158 रकबा 4.5100 हैक्टेयर वाके ग्राम धोलपालिया तहसील लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है-

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. केशरदेव लक्ष्मीनारायण रामरिछपाल पित्र चूनाराम जाति जाट सा.देह तुनवां राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन	158 मीन	2.26 हैक्टेयर	बारानी 2	9.04
2. लिछमणपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन जगदीशपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन रा.ग्रा. बैंक शाखा काछवा मूर्तहीन धन्नापुरी औंकारपुरी गोपालपुरी पि. देवापुरी तुलछी पुत्री देवापुरी हि. 2/3 हि.ब. दर रकबा 2.25 है. जाति गुसाई सा.तुनवां	158 मीन	2.25 हैक्टेयर	बारानी 2	9.00

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा।
उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से
अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर
राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जोते है। रहन यथावत रहेगा। अतः
उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीजमुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह
.... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तकको अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.05.2018 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)****लक्ष्मणगढ़ (सीकर)****कैम्प- काछवा**

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)****लक्ष्मणगढ़ (सीकर)****कैम्प- काछवा**

24.05.2018	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार- 2018 के तहत आयोजित कैम्प काछवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दावा साधारण विभाजन का है जिसमें कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं. 3 स्वयं ने उपस्थित होकर मुताबिक तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/रा.लो.अ./2018/20ए दिनांक 24.05.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 392 रकबा 4.5100 हैक्टेयर जिसके नया खसरा सं. 158 रकबा 4.5100 हैक्टेयर वाके ग्राम धोलपालिया तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं-</p> <table border="1" data-bbox="381 913 1356 1311"> <thead> <tr> <th>खातेदार का नाम</th> <th>खसरा सं.</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. केशरदेव लक्ष्मीनारायण रामरिछपाल पित्र चूनाराम जाति जाट सा.देह तुनवां राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन</td> <td>158 मीन</td> <td>2.26 हैक्टेयर</td> </tr> <tr> <td>2. लिछमणपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन जगदीशपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन रा.ग्रा. बैंक शाखा काछवा मूर्तहीन धन्नापुरी औंकारपुरी गोपालपुरी पि. देवापुरी तुलछी पुत्री देवापुरी हि. 2/3 हि.ब. दर रकबा 2.25 है. जाति गुसाई सा.तुनवां</td> <td>158 मीन</td> <td>2.25 हैक्टेयर</td> </tr> </tbody> </table> <p>तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ (सीकर)</p>	खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	1. केशरदेव लक्ष्मीनारायण रामरिछपाल पित्र चूनाराम जाति जाट सा.देह तुनवां राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन	158 मीन	2.26 हैक्टेयर	2. लिछमणपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन जगदीशपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन रा.ग्रा. बैंक शाखा काछवा मूर्तहीन धन्नापुरी औंकारपुरी गोपालपुरी पि. देवापुरी तुलछी पुत्री देवापुरी हि. 2/3 हि.ब. दर रकबा 2.25 है. जाति गुसाई सा.तुनवां	158 मीन	2.25 हैक्टेयर
खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा								
1. केशरदेव लक्ष्मीनारायण रामरिछपाल पित्र चूनाराम जाति जाट सा.देह तुनवां राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन	158 मीन	2.26 हैक्टेयर								
2. लिछमणपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन कार्पोरेशन बैंक शाखा सीकर मूर्तहीन जगदीशपुरी पुत्र देवापुरी हि. 1/6 राहिन रा.ग्रा. बैंक शाखा काछवा मूर्तहीन धन्नापुरी औंकारपुरी गोपालपुरी पि. देवापुरी तुलछी पुत्री देवापुरी हि. 2/3 हि.ब. दर रकबा 2.25 है. जाति गुसाई सा.तुनवां	158 मीन	2.25 हैक्टेयर								

परियमेव जयते
Web Copy - Not Official